अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 23 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1798,75,00				
				1798,76,00	864,56,02	-934,19,98
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					934,19,60
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4093,25,00				
				4093,27,00	1112,19,56	-2981,07,44
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2981,07,40

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	174011.00			
पू.	S.	1.00	81255.82	81255.68	-0.14
पु.	R.	-92756.18			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में ₹1567.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः

(का) "उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय पूल में अंशदान – गैर व्यपगत केंद्रीय संसाधान पूल (एन. एल. सी. पी. आर.)" – ₹1000.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – एन. ई. आर. ए. एम. ए. सी. को अनुदान" – ₹567.00 लाख उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वयन करने के लिए कोई व्यवहार्यता शेष नहीं रह जाने के कारण।

(II) "उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय संसाधन पूल में अंशदान" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "उत्तर पूर्व क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना (सडक अवसंरचना से इतर)" – ₹2316.45 लाख की बचत (₹3490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई;

(खा) "उत्तर पूर्व परिषद की योजनायें" – ₹1756.54 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹43154.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से कम संख्या में उपयोग प्रमाण पत्र और संगत दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) "प्रधान मंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल में अंशदान – प्रधान मंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डिवाइन)" के अंतर्गत – ₹44394.07 लाख की बचत (₹45000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाण पत्र, प्रस्ताव और संगत दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1567.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under the following heads: -

(A) "Contribution to Central Pool for Development of North Eastern Region - Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR)" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(B) "Assistance to Public Sector and Other Undertaking - Grants to NERAMAC" - ₹567.00 lakhs - due to no liability left for implementation of revival package of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited.

(II) Under "Contribution to Central Resource Pool for Development of North Eastern Region" - savings occurred under the following heads:-

(A) "North East Special Infrastructure Development Scheme (Other than Road Infrastructure)" - saving of ₹2316.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3490.00 lakhs) was due to hiring of less professionals and non-receipt of viable proposals.

(B) "Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹1756.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹43154.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in February, 2024) was due to less receipt of utilization certificates and relevant documents from the implementing agencies.

(III) Under "Contribution to Prime Minister's Development initiative for North East Region - Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE)" - saving of ₹44394.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates,

proposals and relevant documents from the state Governments.

(IV) "संविधान की VI अनुसूची के अंतर्गत शामिल स्वायत्त शासी परिषदों और क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत शासी क्षेत्रीय परिषद को विशेष विकास पैकेज" के अंतर्गत – ₹12647.32 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र और संगत दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under "Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution - Special Development Package to Autonomous Territorial Council" - saving of ₹12647.32 lakhs (against sanctioned provision of ₹14000.00) was due to less receipt of utilization certificates and relevant documents from the State Governments.

(V) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों का कल्याण आर्थिक विकास" के अंतर्गत – ₹3905.97 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकारणों/राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र, प्रस्ताव और संगत दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(V) Under "Special Component Plan for Scheduled Caste - Welfare of Scheduled Castes Economic Development" - saving of ₹3905.97 lakhs (against sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, proposals and relevant documents from the implementing agencies/state Government.

(VI) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" के अंतर्गत – ₹29706.98 लाख की बचत (₹33000.00 लाख की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाण पत्र, प्रस्ताव और संगत दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under "Tribal Area Sub Plan - National Tribal Welfare Programme" - saving of ₹29706.98 lakhs (against sanctioned provision of ₹33000.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates, proposals and relevant documents from the State Government.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत – ₹489.74 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹489.74 lakhs occurred, constituting 17 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से ₹3484.52 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि "पूर्वोत्तर परिषद की जनजातीय क्षेत्र उप योजना" के तहत फरवरी, 2024 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹3484.52 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2024 under "Tribal Area Sub-Plan - Schemes of North Eastern Council". Actual excess, however, was ₹3484.51 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	402610.00	104823.85	104823.83	-0.02
पु.	R.	-297786.15			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹110200.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹110000.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे:

(I) Provision of ₹110200.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹110000.00 lakhs accounted for under the following heads: -

(का) "सामान्य निर्माण कार्य – प्रधान मंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डिवाइन)" – ₹94000.00 लाख हुई; और

(A) "General Construction - Prime Minister's Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - ₹94000.00 lakhs; and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डिवाइन)" – ₹16000.00 लाख।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Prime Minister's Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - ₹16000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों से उपयोग प्रमाणपत्र, व्यवहार्य प्रस्ताव और संगत दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under above two heads remained unutilized due to non-receipt of utilization certificates, viable proposals and relevant documents from State Governments and Central agencies.

(II) "सड़कें और सेतु – उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस – सड़कें)" के अंतर्गत – ₹46378.73 लाख की बचत (₹66398.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under "Roads and Bridges - North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS - Roads)" - savings of ₹46378.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66398.00 lakhs);

(III) "सामान्य निर्माण कार्य उत्तर पूर्व परिषद की योजनायें – केंद्रीय" – ₹2477.43 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under "General Construction - Schemes of North Eastern Council - Central" - saving of ₹2477.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(IV) "उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (सडक अवसंरचना से इतर) – उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (सडक अवसंरचना से इतर)" – ₹23707.40 लाख (₹4061.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) Under "North East Special Infrastructure Development Scheme (Other than Road Infrastructure) - North East Special Infrastructure Development Scheme (Other than Road Infrastructure)" - saving of ₹23707.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40611.00 lakhs);

(V) "गैर व्यपगत केंद्रीय संसाधान पूल (एन. एल. सी. पी. आर. राज्य) गैर व्यपगत केंद्रीय संसाधान पूल (एन. एल. सी. पी. आर. राज्य)" के अंतर्गत – ₹35869.79 लाख की बचत (₹46601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) Under "Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - State) - Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - State)" - saving of ₹35869.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46601.00 lakhs);

(VI) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(VI) Under "Special Component Plan for Scheduled Casts" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (सडक अवसंरचना से इतर)" – ₹2758.00 लाख की बचत (₹5698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "North East Special Infrastructure Development Scheme (Other than Road Infrastructure)" - saving of ₹2758.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5698.00 lakhs);

(खा) "गैर व्यपगत केंद्रीय संसाधान पूल (एनएलसीपीआर राज्य)" – ₹1696.75 लाख की बचत (₹5701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - State)" - saving of ₹1696.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5701.00 lakhs);

(गा) "उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस – सड़कें)" – ₹7551.00 लाख की बचत (₹10601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS - Roads)" - saving of ₹7551.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10601.00 lakhs);

(VII) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(VII) Under "Tribal Area Sub-Plan" - savings occurred under the following heads: -

(का) "प्रधान मंत्री की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डिवाइन)" – ₹43550.00 लाख की बचत (₹44000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Prime Minister's Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - saving of ₹43550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44000.00 lakhs);

(खा) "उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़क अवसंरचना से इतर)" – ₹6469.03 लाख की बचत

(B) "North East Special Infrastructure Development Scheme (Other than Road

(₹18001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "गैर–व्यपगत केंद्रीय संसाधान पूल (एनएलसीपीआर राज्य)" – ₹12475.55 लाख की बचत (₹17998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस – सड़कें)" – ₹4852.49 लाख की बचत (₹33001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों में बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र और संगत दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण हुईं।

Infrastructure)" - saving of ₹6469.03 lakh (against the sanctioned provision of ₹18001.00 lakhs);

(C) "Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - State)" - saving of ₹12475.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17998.00 lakhs); and

(D) "North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS - Roads)" - saving of ₹4852.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33001.00 lakhs).

Savings under above eleven heads were due to less receipt of utilization certificates and relevant documents from State Governments.